

भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा)

21/06/19

1784-87/19

ले-आउट प्लान समिति की तृतीय बैठक दिनांक 13.06.2019 का

कार्यवाही विवरण

उद्योग विभाग (ग्रुप 1) के द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.05.2018 द्वारा गठित भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण की ले-आउट प्लान समिति की तृतीय बैठक डी.एम.आई.सी. जयपुर बीडा के आदेश दिनांक 28.11.2018 की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडा भिवाडी की अध्यक्षता में दिनांक 13.06.2019 को 02.00 बजे बीडा कार्यालय में आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारीगणों ने भाग लिया:—

1.	श्री शशिकान्त	वरि० नगर नियोजक, बीडा भिवाडी	सदस्य सचिव
2.	श्री योगेश कुमार सैनी	अधिशायी अभियन्ता, बीडा भिवाडी	सदस्य
3	श्री मुकुट सिंह	तहसीलदार बीडा भिवाडी	सदस्य
4.	श्रीमती संध्या सैनी	सहायक नगर नियोजक, बीडा भिवाडी	सदस्य

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा प्रकरणों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया तदुपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये:

		एल.पी.सी	03
		दिनांक	13.06.2019
		एजेण्डा	01
1	विषय	श्री ख्यालीराम घोषी पुत्र श्री कैलाश चन्द निवासी ग्राम महनपुर तह0 बानसुर जिला अलवर राज0 द्वारा ग्राम हरसौली तह0 कोटकासिम जिला अलवर के खसरा नं0 4580/835, 4581/835 कुल किता 02 कुल रकबा 0.20 है0 भूमि का पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ हेतु साईट प्लान की स्वीकृति बाबत।	
2	आवेदक का नाम	श्री ख्यालीराम घोषी पुत्र श्री कैलाश चन्द निवासी ग्राम महनपुर तह0 बानसुर जिला अलवर राज0	
3	भूखण्ड का क्षेत्रफल	2000 वर्ग मी0	
4	भूखण्ड के सामने सडक की चौड़ाई	सब रिजनल प्लान के अनुसार एम.डी.आर. सडक पर स्थित है।	
5	भूखण्ड का उपयोग	पेट्रोल पम्प	
6	प्रकरण की वर्तमान स्थिति	1. निजी खातेदार श्री ख्यालीराम घोषी पुत्र श्री कैलाश चन्द निवासी ग्राम महनपुर तह0 बानसुर जिला अलवर राज0 द्वारा ग्राम हरसौली तह0 कोटकासिम जिला अलवर के खसरा नं0 4580/835, 4581/835 कुल किता 02 कुल रकबा 0.20 है0 भूमि का पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भूमि का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के अन्तर्गत आदेश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 09.01.2019 को पारित किये जा चुके हैं इस प्रकार आवेदित भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र की 90-ए की कार्यवाही की जा कर भूमि राजस्व रिकार्ड में बीडा भिवाडी के नाम दर्ज हो चुकी है। जो पत्रावली में संलग्न है।	
7	मास्टर प्लान में भूमि का उपयोग	सब रिजनल प्लान 2021 के अनुसार उक्त भूमि का भू-उपयोग एग्रीकल्चर (रूरल) आउट साईड कन्ट्रोल्ड एरिया के अन्तर्गत है।	
08	विचारणीय बिन्दु एवं प्रकरण के तथ्य	01. पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत चैक लिस्ट के अनुसार प्रकरण में आवेदक की कुल भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार 2000.00 वर्गमीटर भूमि है एवं सुपरईम्पोजिसन एवं मौके अनुसार भूमि का रकबा 1999.19 वर्ग मी0 प्राप्त होता है। जो हरसौली से बीबीरानी को जाने वाली एम.डी.आर. सडक पर स्थित है। 02. मौका रिपोर्ट अनुसार हरसौली से बीबीरानी को जाने वाली सडक पर स्थित है सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 14.03.2018 के अनुसार सडक का मार्गाधिकार 60 मी0 है। उक्त सडक में जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल 747.20 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क समर्पित की जाकर शेष 1251.99 वर्गमीटर शेष भूमि आवंटन हेतु विचारार्थ 03. मौका रिपोर्टनुसार मौके पर भूमि रिक्त है एवं टेन्टेटिव ले-आउट प्लान अनुसार भूमि उपलब्ध है। अतः विचारार्थ। 04. एकीकृत भवन विनियम अनुसार पेट्रोल पम्प हेतु 20 X 20 मी0 भूमि की आवश्यकता है। आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार की भूमि समर्पण पश्चात शेष भूमि 20 X 20 मी0 उपलब्ध होती है। टेन्टेटीव साईट प्लान अवलोकनार्थ	
निर्णय:- समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से आवेदित भूमि का साईट प्लान निम्न शर्तों के साथ जारी करने का निर्णय लिया गया:-			
01. आवेदक की कुल भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार 2000.00 वर्गमीटर भूमि है एवं सुपरईम्पोजिसन एवं मौके अनुसार भूमि का रकबा 1999.19 वर्ग मी0 प्राप्त होता है। जो हरसौली से बीबीरानी को जाने वाली एम.डी.आर. सडक पर स्थित है।			
02. आवेदित भूमि हरसौली से बीबीरानी को जाने वाली सडक पर स्थित है सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 14.03.2018 के अनुसार सडक का मार्गाधिकार 60 मी0 है। उक्त सडक में जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल 747.20 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क समर्पित की जाकर शेष 1251.99 वर्गमीटर शेष भूमि आवंटन योग्य है। जिसे समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है।			
03. राज्य सरकार के आदेशानुसार आवंटन योग्य भूखण्ड का क्षेत्रफल 20000 वर्ग मी0 से कम होने पर 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र अथवा 5 प्रतिशत भूमि के समतुल्य आरक्षित दर पर राशि लिये जाने का प्रावधान है। आवंटन योग्य भूखण्ड का क्षेत्रफल 20000 वर्ग मी0 से कम है तथा सुविधा क्षेत्र आरक्षित रखे जाने हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः नियमानुसार राशि प्राप्त की जावे।			
04. सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी परिपत्रों /आदेशों की पालना आवेदक द्वारा की जानी होगी।			
05. नियमानुसार समस्त राशि की गणना व जॉच लेखा शाखा से करवाकर उक्त राशि जमा कराने के पश्चात ही ले-आउट प्लान जारी किया जावेगा।			

एल.पी.सी	03
दिनांक	13.06.2019
एजेण्डा	02

1	विषय	श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी श्री मनोहर लाल व मनोहर लाल पुत्र श्री गणेशी लाल निवासी महेश्वरी तह0 धारुहेडा जिला रेवाडी हरि0 द्वारा ग्राम लुहादेरा तह0 तिजारा जिला अलवर के खसरा नं0 145/4 कुल किता 01 कुल रकबा 10836 वर्ग मी0 भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ हेतु साईट प्लान की स्वीकृति बाबत।
2	आवेदक का नाम	श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी श्री मनोहर लाल व मनोहर लाल पुत्र श्री गणेशी लाल
3	भूखण्ड का क्षेत्रफल	10836 वर्ग मी0
4	भूखण्ड के सामने सडक की चौड़ाई	प्रस्तावित 45 मी0
5	भूखण्ड का उपयोग	शैक्षणिक
6	स्वामित्व रिपोर्ट	02. निजी खातेदार श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी श्री मनोहर लाल व मनोहर लाल पुत्र श्री गणेशी लाल निवासी महेश्वरी तह0 धारुहेडा जिला रेवाडी हरि0 द्वारा ग्राम लुहादेरा तह0 तिजारा जिला अलवर के खसरा नं0 145/4 कुल किता 01 कुल रकबा 10836 वर्ग मी0 भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के अन्तर्गत आदेश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 24.12.2018 को पारित किये जा चुके हैं इस प्रकार आवेदित भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र की 90-ए की कार्यवाही की जा कर भूमि राजस्व रिकार्ड में बीडा भिवाडी के नाम दर्ज हो चुकी है। जो पत्रावली में संलग्न है।
7	मास्टर प्लान में भूमि का उपयोग	सब रिजनल प्लान 2021 के अनुसार उक्त भूमि का भू-उपयोग आवासीय+आंशिक मिश्रित भू-उपयोग हेतु प्रस्तावित है।
08	विचारणीय बिन्दु एवं प्रकरण के तथ्य	01. पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत चैक लिस्ट के अनुसार प्रकरण में आवेदक की कुल भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार 10836.00 वर्गमीटर भूमि है एवं सुपरइम्पोजिसन एवं मौके अनुसार भूमि का रकबा 8337.99 वर्ग मी0 प्राप्त होता है। जो तिजारा चौराहे से कोटकासिम को जाने वाली 45 मी0 चौड़ी पर सडक पर स्थित है। 02. तिजारा चौराहे से कोटकासिम को जाने वाली प्रस्तावित 45 मी0 चौड़ी पर स्थित है उक्त सडक में जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल 385.35 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क समर्पित की जाकर शेष 7952.64 वर्गमीटर शेष भूमि आवंटन हेतु विचारार्थ 03. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.) के पत्र क्रमांक 829 दिनांक 24.10.2018 की राय अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग मिश्रित एवं कुछ भाग आवासीय है जिसमें संलग्न मानचित्र अनुसार मिश्रित भू-उपयोग वाले भाग में ही स्कूल का निर्माण अनुज्ञेय किये जाने हेतु तथा आवासीय वाले भाग में खेल मैदान, हास्टल, स्टाफ हेतु आवासीय भवन निर्माण अनुज्ञेय किये जाने हेतु राय प्रदान की गई है। अतः मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.) के पत्र में वर्णित समस्त बिन्दुओं की पालना करवाये जाने हेतु विचारार्थ।

04. मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर 44.80 X 29.20 मी० निर्माण स्थित है। मौके पर किया गया निर्माण आवेदित भूमि के आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत आने वाली भूमि में स्थित है। अतः अतः विचारार्थ।
05. आवेदित भूमि में से गुजर रही 11 केवी की विद्युत लाईन को आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर स्थानान्तरित करवाना होगा अथवा उससे सुरक्षादूरी छोड़नी होगी जिसके नीचे कोई निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा। इस बाबत आवेदक से शपथ पत्र प्राप्त किये जाने बाबत विचारार्थ।

निर्णय:- समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से आवेदित भूमि का साईट प्लान निम्न शर्तों के साथ जारी करने का निर्णय लिया गया:-

01. आवेदक की कुल भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार 10836.00 वर्गमीटर भूमि है एवं सुपरईम्पोजिसन एवं मौके अनुसार भूमि का रकबा 8337.99 वर्ग मी० प्राप्त होता है। जो तिजारा चौराहे से कोटकासिम को जाने वाली 45 मी० चौड़ी पर सड़क पर स्थित है।
02. तिजारा चौराहे से कोटकासिम को जाने वाली प्रस्तावित 45 मी० चौड़ी पर स्थित है उक्त सड़क में जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल 385.35 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क समर्पित की जाकर शेष 7952.64 वर्गमीटर शेष भूमि आवंटन हेतु योग्य है। जिसे समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
03. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.) के पत्र क्रमांक 829 दिनांक 24.10.2018 की राय अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग मिश्रित एवं कुछ भाग आवासीय है जिसमें संलग्न मानचित्र अनुसार मिश्रित भू-उपयोग वाले भाग में ही स्कूल का निर्माण अनुज्ञेय किये जाने हेतु तथा आवासीय वाले भाग में खेल मैदान, हास्टल, स्टाफ हेतु आवासीय भवन निर्माण अनुज्ञेय किये जाने हेतु राय प्रदान की गई है। अतः मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.) के पत्र में वर्णित समस्त बिन्दुओं की पालना करवाई जावे एवं इस बाबत आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे।
04. मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर 44.80 X 29.20 मी० निर्माण स्थित है। मौके पर किया गया निर्माण में सैट बैंक में आने वाले निर्माण को हटाया जाना होगा। भवन विनियम अनुसार सैट बैंक छोड़कर किये गये निर्माण पर बिना स्वीकृति निर्माण शास्ती वसूल की जावे।
05. आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत किये गये निर्माण को आवासीय उपयोग में ही लिया जाना होगा। इस बाबत मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे।
06. आवेदित भूमि में से गुजर रही 11 केवी की विद्युत लाईन को आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर स्थानान्तरित करवाना होगा अथवा उससे सुरक्षादूरी छोड़नी होगी जिसके नीचे कोई निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा। इस बाबत आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे।
07. राज्य सरकार के आदेशानुसार आवंटन योग्य भूखण्ड का क्षेत्रफल 20000 वर्ग मी० से कम होने पर 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र अथवा 5 प्रतिशत भूमि के समतुल्य आरक्षित दर पर राशि लिये जाने का प्रावधान है। आवंटन योग्य भूखण्ड का क्षेत्रफल 20000 वर्ग मी० से कम है तथा सुविधा क्षेत्र आरक्षित रखे जाने हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः नियमानुसार राशि प्राप्त की जावे। *अवॉटन की स्वीकृति हेतु प्रमुख राज्य सरकार को पेशित किया जावे।*
08. नियमानुसार समस्त राशि की गणना व जॉच लेखा शाखा से करवाकर उक्त राशि जमा कराने के पश्चात ही ले-आउट प्लान जारी किया जावेगा।

ह

ह

ह

ह

ह

	एल.पी.सी	03
	दिनांक	13.06.2019
	एजेण्डा	03
1	विषय	श्री बेगराज पुत्र श्री रघुवीर सिंह निवासी ग्राम सालखर पोस्ट बघेरी कंला तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0 द्वारा ग्राम सालखर तह0 कोटकासिम जिला अलवर के खसरा नं0 830/827, 832/828, 835/824 कुल किता 03 कुल रकबा 2000 वर्ग मी0 भूमि का पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ हेतु साईट प्लान की स्वीकृति बाबत।
2	आवेदक का नाम	श्री बेगराज पुत्र श्री रघुवीर सिंह निवासी ग्राम सालखर पोस्ट बघेरी कंला तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0
3	भूखण्ड का क्षेत्रफल	2000 वर्ग मी0
4	भूखण्ड के सामने सडक की चौड़ाई	सब रिजनल प्लान के अनुसार एम.डी.आर. सडक पर स्थित है।
5	भूखण्ड का उपयोग	पेट्रोल पम्प
6	प्रकरण की वर्तमान स्थिति	01. निजी खातेदार श्री बेगराज पुत्र श्री रघुवीर सिंह निवासी ग्राम सालखर पोस्ट बघेरी कंला तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0 द्वारा ग्राम सालखर तह0 कोटकासिम जिला अलवर के खसरा नं0 830/827, 832/828, 835/824 कुल किता 03 कुल रकबा 2000 वर्ग मी0 भूमि का पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भूमि का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के अन्तर्गत आदेश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 04.02.2019 को पारित किये जा चुके हैं इस प्रकार आवेदित भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र की 90-ए की कार्यवाही की जा कर भूमि राजस्व रिकार्ड में बीडा भिवाडी के नाम दर्ज हो चुकी है। जो पत्रावली में संलग्न है।
7	मास्टर प्लान में भूमि का उपयोग	सब रिजनल प्लान के अनुसार उक्त भूमि का भू-उपयोग एग्रीकल्चर (रूरल) आउट साईड कन्ट्रोल्ड एरिया के अन्तर्गत है।
08	विचारणीय बिन्दु एवं प्रकरण के तथ्य	01. पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत चैक लिस्ट के अनुसार प्रकरण में आवेदक की कुल भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार 2000.00 वर्गमीटर भूमि है एवं सुपरईम्पोजिसन एवं मौके अनुसार भूमि का रकबा 1979.56 वर्ग मी0 प्राप्त होता है। जो हरसोली से बीबीरानी को जाने वाली एम.डी.आर सडक पर स्थित है। 02. मौका रिपोर्ट अनुसार हरसोली से बीबीरानी को जाने वाली सडक पर स्थित है सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 14.03.2018 के अनुसार सडक का मार्गाधिकार 60 मी0 है। तथा सडक के मध्य से 30 मी0 भूमि छोड़कर सर्वे प्रस्तुत किया गया है। अतः आवंटन योग्य क्षेत्रफल 1979.56 वर्ग मी0 उपलब्ध है। 03. मौका रिपोर्टनुसार मौके पर भूमि रिक्त है एवं टेन्टेटिव ले-आउट प्लान अनुसार भूमि उपलब्ध है। अतः विचारार्थ। 04. एकीकृत भवन विनियम अनुसार पेट्रोल पम्प हेतु 20 x 20 मी0 भूमि की आवश्यकता है। आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार की भूमि समर्पण पश्चात शेष भूमि 20 x 20 मी0 उपलब्ध होती है। अतः विचारार्थ।
निर्णय:- समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से आवेदित भूमि का साईट प्लान निम्न शर्तों के साथ जारी करने का निर्णय लिया गया:-		
01. आवेदक की कुल भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार 2000.00 वर्गमीटर भूमि है एवं सुपरईम्पोजिसन एवं मौके अनुसार भूमि का रकबा 1979.56 वर्ग मी0 प्राप्त होता है। जो हरसोली से बीबीरानी को जाने वाली एम.डी.आर सडक पर स्थित है।		

02. आवेदित भूमि हरसोली से बीबीरानी को जाने वाली सडक पर स्थित है सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 14.03. 2018 के अनुसार सडक का मार्गाधिकार 60 मी० है। तथा सडक के मध्य से 30 मी० भूमि छोडकर सर्वे प्रस्तुत किया गया है। अतः आवंटन योग्य क्षेत्रफल 1979.56 वर्ग मी० है। जिसे समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
03. एकीकृत भवन विनियम अनुसार पेट्रोल पम्प हेतु 20 x 20 मी० भूमि की आवश्यकता है। आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार की भूमि समर्पण पश्चात शेष भूमि 20 x 20 मी० उपलब्ध होती है।
04. राज्य सरकार के आदेशानुसार आवंटन योग्य भूखण्ड का क्षेत्रफल 20000 वर्ग मी० से कम होने पर 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र अथवा 5 प्रतिशत भूमि के समतुल्य आरक्षित दर पर राशि लिये जाने का प्रावधान है। आवंटन योग्य भूखण्ड का क्षेत्रफल 20000 वर्ग मी० से कम है तथा सुविधा क्षेत्र आरक्षित रखे जाने हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः नियमानुसार राशि प्राप्त की जावे।
05. सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी परिपत्रों /आदेशों की पालना आवेदक द्वारा की जानी होगी।
06. नियमानुसार समस्त राशि की गणना व जॉच लेखा शाखा से करवाकर उक्त राशि जमा कराने के पश्चात ही ले-आउट प्लान जारी किया जावेगा।

G

W

✓

✓

✓

	एल.पी.सी	03
	दिनांक	13.06.2019
	एजेण्डा	04
1	विषय	श्रीमती इन्दु कुमारी पत्नी श्री अनिल कुमार निवासी रघुनाथपुरा पो0 हमीदपुर तह0 नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0 द्वारा ग्राम डूगरसी तह0 बहरोड के खसरा न0 169 के भूखण्ड सं0 32 क्षेत्रफल 201.78 वर्ग मी0 भूखण्ड का विभाजन के क्रम में।
2	आवेदक का नाम	श्रीमती इन्दु कुमारी पत्नी श्री अनिल कुमार
3	भूखण्ड का क्षेत्रफल	201.78 वर्ग मी0
4	भूखण्ड के सामने सडक की चौडाई	06 मी0
5	भूखण्ड का उपयोग	आवासीय
6	प्रकरण में वर्तमान स्थिति	01. आवेदक श्रीमती इन्दु कुमारी पत्नी श्री अनिल कुमार निवासी रघुनाथपुरा पो0 हमीदपुर तह0 नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0 द्वारा ग्राम डूगरसी तह0 बहरोड के खसरा न0 169 के भूखण्ड सं0 32 क्षेत्रफल 201.78 वर्ग मी0 भूमि आवासीय हेतु प्रशासन शहरो के संग अभियान 2012 के तहत दिनांक 14.06.2013 का पट्टा जारी किया गया था। आवेदक श्रीमती इन्दु कुमार द्वारा उक्त भूखण्ड में से क्रमशः 100.89 वर्ग मी0 विजय पाल पुत्र श्री रामपाल को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 25.09.2017 एवं श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री सरदार सिंह को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 25.09.2017 को बेचान कर दिया गया है। 02. आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड का विभाजन हेतु आवेदन किया है।
7	मौका रिपोर्ट	कनि0 अभियन्ता की मौका रिपोर्ट दिनांक 30.01.2019 के अनुसार उक्त भूखण्ड मौके पर रिक्त है तथा चारदीवारी निर्मित है।
8	विचारणीय बिन्दु	01. श्रीमती इन्दु कुमारी पत्नी श्री अनिल कुमार निवासी रघुनाथपुरा पो0 हमीदपुर तह0 नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0 द्वारा ग्राम डूगरसी तह0 बहरोड के खसरा न0 169 के भूखण्ड सं0 32 क्षेत्रफल 201.78 वर्ग मी0 भूमि आवासीय हेतु प्रशासन शहरो के संग अभियान 2012 के तहत दिनांक 14.06.2013 का पट्टा जारी किया गया है। 02. आवेदक आवेदक श्रीमती इन्दु कुमार द्वारा उक्त भूखण्ड में से क्रमशः 100.89 वर्ग मी0 विजय पाल पुत्र श्री रामपाल को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 25.09.2017 एवं श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री सरदार सिंह को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 25.09.2017 को बेचान कर दिया गया है। अतः विचारार्थ। 03. पुनर्गठित एवं उपविभाजित नियम अनुसार 1500 वर्ग गज तक के भूखण्ड की स्वीकृति स्थानीय निकाय स्तर पर दी जा सकती है। अतः विचारार्थ।
निर्णय:- समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से आवेदित भूखण्ड को 100.89 वर्ग मी0 के दो भूखण्डों में उप विभाजित करने का निर्णय लिया गया है। उप विभाजित भूखण्डों पर सैट बैक पूर्वानुसार रखा जाना होगा। उप विभाजन नियम अनुसार समस्त शुल्क एवं राशि वसूल की जावें।		

श्रीमती संध्या सैनी
सहा0 नगर नियोजक

श्री योगेश चन्द सैनी
अधिशायी अभियन्ता
(सदस्य)

श्री मुकुट सिंह
तहसीलदार
(सदस्य)

श्री शशिकान्त
वरि0 नगर नियोजक
(सदस्य सचिव)

श्री मुष्कर राज शर्मा
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(अध्यक्ष)